ई-केवाईसी बिना वंचित रह गए लाखों लाभार्थी: कुशीनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए ई-केवाईसी न होने के कारण 2,23,097 लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाया है।

कृष्ण जन्मभूमि : ईदगाह विवाद में मुसलिम पक्ष को झटका

याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, 15 जनवरी (ब्यूरो)।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील की सुनवाई मार्च तक टाल दी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि उसे आज एक और मामले की सुनवाई करनी है और वह मस्जिद समिति की याचिका पर विचार नहीं कर सकती।

शीर्ष अदालत बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई कर रही थी, जिनमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया गया था। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि आज हम एक अन्य मामले में सुनवाई कर रहे हैं। याचिका को मार्च, 2025 में सूचीबद्ध करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पिछले साल एक अगस्त को मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मामलों की सुनवाई को चुनौती देने वाली शाही मस्जिद ईदगाह समिति की याचिका खारिज कर दी थी और फैसला सुनाया था कि शाही ईदगाह के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल नौ दिसंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई शुरू की थी। हिंदू पक्षों में से एक ने दलील दी थी कि मस्जिद समिति इस मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती दे सकती थी।

> *न्यायमूर्ति* **खन्ना ने कहा कि आज हम एक अन्य मामले में सुनवाई कर रहे हैं। याचिका को मार्च, 2025 में सूचीबद्ध करें।**

चीनी मांझे से कटी जीभ, हालत गंभीर

वाराणसी, 15 जनवरी (जनसत्ता)।

मंडुआडीह थाना क्षेत्र के लहरतारा-महेशपुर मार्ग पर एक स्कूटी सवार की जीभ चाइनीज मांझे से कट गई।

स्कूटी सवार के मुंह से खून बहने लगा। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने उसे संभाला, उसके मुंह पर रुई लगाई और प्राथमिक मदद दी। इसके बाद वह खुद स्कूटी चलाकर अस्पताल पहुंचा। उसे गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर भेजा गया। एक व्यक्ति उसकी मदद के लिए पीछे बैठा गया। वह खुद स्कूटी चलाकर अस्पताल पहुंचा।

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाइनेंस **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
सुमित कुमार कश्यप, श्री रोहित कुमार, श्री मोहन लाल, श्रीमती सतवीरी खाता सं. LNHPR00620-210152130	16 अगस्त 2023 ₹ 1076406/- 16 अगस्त 2023	आवासीय सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 7, खसरा नं. 2646 के बाहर, गांव-असोरा, मोहल्ला पंचवटी कॉलोनी, हापुर, परगना व तहसील-हापुर, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 100 वर्ग गज**	भौतिक कब्जा दिनांक 13 जनवरी 2025

स्थान : जयपुर दिनांक : 16-01-2025 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाइनेंस **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
प्रखर श्रीवास्तव, सुष्मिता श्रीवास्तव खाता सं. LNPYJ02019-200137536 व LNPYJ01819-200142278	7 नवम्बर 2024 ₹ 7439448/- व ₹ 1227653/- 4 नवम्बर 2024	मकान नं. 72-बी/2ए/1 लूकरगंज, प्रयाग होलीडे गेस्ट हाउस के पास, सब डिविजन नं. 3/3, भावापुर, परगना व तहसील सदर, जिला-प्रयागराज, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 143.35 वर्ग मीटर**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 13 जनवरी 2025
अभिषेक कुमार, राम खेलावन, पुष्पा देवी खाता सं. LNPYJ17623-240325012	7 नवम्बर 2024 ₹ 1313026/- 4 नवम्बर 2024	मकान नं. 32/24, मोहल्ला भोला का पुरा, उमरपुर नीवा, परगना तहसील सदर ज़िला - इलाहाबाद / प्रयागराज **क्षेत्रफल 69.93 वर्ग मीटर**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 13 जनवरी 2025

स्थान : जयपुर दिनांक : 16-01-2025 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाइनेंस **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
सुनील प्रसाद उनियाल, शिखा शिखा खाता सं. LNDHD02919-200119681	7 नवम्बर 2024 ₹ 2495575/- 4 नवम्बर 2024	खाता संख्या 255 वाली भूमि से सम्बन्धित समस्त सम्पत्ति (फसली 1399 से 1404) खसरा नं. 276/6/15 मिन, गगा नगर में स्थित, मौजा ऋषिकेश, परगना परवा दून, तहसील-ऋषिकेश, जिला-देहरादून **क्षेत्रफल 93.84 वर्ग मीटर**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 13 जनवरी 2025
विद्या वैद्य, रविन्द्र वैद्य खाता सं. LNRDP17923-240329874	7 नवम्बर 2024 ₹ 1415685/- 4 नवम्बर 2024	खाता नं. 00645, खसरा नं. 689 मिन, गांव-चंदयान, तहसील-गदरपुर, जिला-उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड **क्षेत्रफल 144.98 वर्ग मीटर**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 13 जनवरी 2025

स्थान : जयपुर दिनांक : 16-01-2025 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

Indian Overseas Bank A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक भारत सरकार का उपक्रम
क्षेत्रीय कार्यालय–लखनऊ। केन्द्रीय कार्यालय–चेन्नई

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(12) के तहत नियम 3 के प्रदत्त अधिकारों के अधिनियम में, उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत माँग सूचना जारी किया गया, ऋणी / बंधककर्ताओं / जमानतकर्ताओं (इसके बाद "उक्त उधारकर्ताओं" के रूप में जाना जाता है) को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर, नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया।

उक्त नोटिस ऋणी / बंधककर्ताओं / जमानतकर्ताओं द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार नहीं किए गए हैं। डाक अधिकारियों द्वारा बिना सुपुर्दगी वापस कर दिए गए हैं । इसलिए बैंक अत्यधिक सावधानी रखते हुए मांग नोटिस के इस प्रकाशन को जारी कर रहा है। अतः अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अधिनियम में, उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना जारी किया गया, ऋणी / बंधककर्ताओं / जमानतकर्ताओं (इसके बाद "उक्त उधारकर्ताओं" के रूप में जाना जाता है) को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर, नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया।

उक्त नोटिस ऋणी / बंधककर्ताओं / जमानतकर्ताओं द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार नहीं किए गए हैं। डाक अधिकारियों द्वारा बिना सुपुर्दगी वापस कर दिए गए हैं । इसलिए बैंक अत्यधिक सावधानी रखते हुए मांग नोटिस के इस प्रकाशन को जारी कर रहा है। अतः अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अधिनियम में, उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नीचे दी गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है। ऋण के देय पुनर्भुगतान के लिए बंधक के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को संबंधित पक्षों द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक को नीचे गिरवी रखा गया है। ऋण की देय चुकता के लिए संबंधित पक्षों निम्नलिखित सम्पत्तियों को इंडियन ओवरसीज बैंक में बंधक रखी गया हैं।

क्र. सं.	ऋणी / जमानतकर्ता / बंधककर्ता का नाम व पता	सम्पत्तियों का विवरण	कुल बकाया धनराशि	मांग सूचना की तिथि
	शाखा–स्वरूप नगर शाखा (0686), 112/351, स्वरूप नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208002 फोन नंबर: 0512–22535627, ई–मेल: iob0686@iob.in			
1.	1) मेसर्स भदौरिया इंटरप्राइजेज, पता–50/125, नौघड़ा, कानपुर उत्तर प्रदेश–208001 (ऋणी) 2) **श्री आकाश सिंह पुत्र स्व. श्री इंद्रपाल सिंह (प्रोपराईटर)** पता–50/125, नौघड़ा, कानपुर उत्तर प्रदेश–208001 (ऋणी) 3) **श्री विकाश सिंह पुत्र स्व. श्री इंद्रपाल सिंह** पता–50/125, नौघड़ा, कानपुर उत्तर प्रदेश–208001 (ज़मानतकर्ता)	1) दृष्टिबंधक–स्टॉक 2) बंधक– मकान संख्या 3 का पश्चिमी भाग, जो अब नगरपालिका संख्या 3सी के रूप में आवंटित है, स्थित ग्राम–जमुई, जिला कानपुर नगर, **क्षेत्रफल 64 वर्ग गज, श्री विकास सिंह पुत्र स्व. श्री इंद्र पाल सिंह के नाम पर, चौहद्दी:–उत्तर**–3.00 मीटर चौड़ी सड़क, **दक्षिण**– बाबू सिंह का मकान, **पूर्व**– मकान का आंशिक भाग, **पश्चिम**– रज्जू तिवारी का मकान	रु. 18,51,169.22 दिनांक 31.12.2024 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे	04.01.2025

***ऊपर वर्णित तिथि से भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दरों / पर आगे ब्याज के साथ देय।**

यदि उक्त ऋणी / बंधककर्ताओं / जमानतकर्ताओं द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो इंडियन ओवरसीज बैंक सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उपरोक्त बंधक परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और इसकी लागत और परिणामों पूरी तरह से जिम्मेदारी ऋणी / बंधककर्ताओं / जमानतकर्ताओं पर होगी।

ऋणी / बंधककर्ता / जमानतकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी / बंधककर्ता / जमानतकर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना बंधक संपत्ति बिक्री के माध्यम से, पट्टे पर या अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन या अवाज्ञा करता है, वह अधिनियम की धारा 29 के तहत कारावास और / या जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

दिनांक: 16.01.2025 स्थान: कानपुर प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड
HINDUJA HOUSING FINANCE
कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com
1ST 124/O/64, पाँपुलर धर्म काँटा के पास, गोविंद नगर, कानपुर-208006
आरएलएम–बजेश अवस्थी–9918301885, सीएलएम–सोनम मिश्रा 9368111464 आरआरएम – पुष्कर अवस्थी, 9453043399, सीआरएम – मितेश मिश्रा 9555269296

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार / गारन्टर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पतियों का विवरण
1	आवेदन नं. UP/KNP/KANP/A000001029 & CO/CPC/CPOF/A000000567 **रितु भदारुइया और श्री विजय सिंह भदौरिया और श्री जयराम सिंह भदौरिया,** सभी: 119/505 दर्शन पुरवा लक्ष्मी रतन ऑफिसर्स कॉलोनी कालपी रोड आर.के. नगर कानपुर नगर, रावतपुर, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत - 208012	13-09-2023 10.01.2025 सांकेतिक	₹ 20,75,159/- दिनांक 31-08-2023 तक + ब्याज इत्यादि	**संपत्ति अर्थात फ्लैट नंबर 202 प्रथम तल नगर निगम नंबर पुराना नं. 119/505 नया नं. 119/1015 दर्शन पुरवा कालपी रोड कानपुर नगर, दर्शन पुरवा, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत - 208012 क्षेत्रफल-90.77 वर्ग मीटर,** चौहद्दी: पूरब में - परिसर: मकान नं. 119/505 का हिस्सा फ्लैट: फ्लैट नंबर 203, पश्चिम में - परिसर: 24 फीट चौड़ी सड़क फ्लैट: 24 फीट सड़क, उत्तर में - परिसर: मकान नं. 119/505 का हिस्सा, फ्लैट: फ्लैट नं. 201, दक्षिण में - परिसर: मकान नं. 119/505 का हिस्सा फ्लैट: मकान नं. 119/505 का प्लॉट
2	आवेदन नं. UP/KNP/KANP/A000000684 & CO/CPC/CPOF/A000000138 **श्रीमती नीता नागर और श्री अशोक कुमार और श्री अंकित कुमार,** दोनो: निवासी 201, गोपाल नगर, किदवई नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश--208011, किदवई नगर, शहरी, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत - 208011	12.08.2024 11.01.2025 सांकेतिक	₹ 5,41,140/- दिनांक 27-07-2024 तक + ब्याज इत्यादि	**संपत्ति अर्थात 201, गोपाल नगर, किदवई नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208011, किदवई नगर, मेट्रो कानपुर, उत्तर प्रदेश भारत-208011 क्षेत्रफल-154.69 वर्ग मी.,** चौहद्दी: पूरब में - प्लॉट सं. 202, पश्चिम में - 7.62 मी. रोड, उत्तर में - प्लाट सं. 200, दक्षिण में - 7.62 मी. रोड
3	आवेदन नं. UP/KNP/KANP/A000002277 **श्री विजय कुमार राठौड़ और श्रीमती माया देवी, दोनो:** निवासी 153वी यशोदा नगर कानपुर, यशोदा नगर, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत - 208011	12.08.2024 10.01.2025 सांकेतिक	₹ 15,42,144/- दिनांक 27-07-2024 तक + ब्याज इत्यादि	**संपत्ति अर्थात 153 बी यशोदा नगर कानपुर, मेट्रो कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत-208011 क्षेत्रफल-55.74 वर्ग मीटर,** चौहद्दी: पूरब में - प्लॉट सं. 'सी', पश्चिम-9, 14 मी., उत्तर में- वकील साहब का प्लॉट, दक्षिण में - प्लाट संख्या 29
4	आवेदन नं. UP/KNP/KANP/A000001118 & UP/KNP/KANP/A000001703 **श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय और श्री अनिरुद्ध उपाध्याय और श्रीमती राधा उपाध्याय,** दोनो: निवासी ई.डब्लू.एस 64 भाग 3 गंगागंज कॉलोनी पंकवहादुर नगर पनकी रोड कानपुर नगर, गंगागंज कॉलोनी, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत - 208020	24.06.2024 13.01.2025 सांकेतिक	₹ 9,69,552/- दिनांक 10-06-2024 तक + ब्याज इत्यादि	संपत्ति अर्थात ई.डब्लू.एस 64, पार्ट 3 गंगागंज कॉलोनी पनकवहादुर नगर पनकी रोड कानपुर नगर, गंगागंज कॉलोनी, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत - 208020, क्षेत्रफल-40.88 वर्ग मी., चौहद्दी: पूरब में - मकान नं. 68/ईडब्ल्यूएस, पश्चिम में - 05.00 मी. चौड़ी सड़क, उत्तर में - मकान नं. 65/ईडब्ल्यूएस, दक्षिण में - मकान नं. 63/ईडब्ल्यूएस

दिनांक : 15-01-2025, स्थान : कानपुर प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड
कार्यालय: उप परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई- प्रथम
ऐशबाग, भूसामण्डी, लखनऊ–226004

पत्रांक : 2783/E-Tender/2024-25 दि0: 15.01.2025

ई–निविदा सूचना (2nd Calling)

इकाई के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में आर०ओ०बी० 156 दरियाबाद पर निम्नानुसार कार्य हेतु निविदा ई–टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in पर आमन्त्रित की जा रही है। विवरण तालिकाबद्ध है–

क्र.	सेतु का नाम	कार्य का नाम
1.	जनपद–बाराबंकी में उत्तर रेलवे के दरियाबाद– सैदखानपुर रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित सम्पार सं0 156ए/3–टी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	1. पी0आर0डब्लू0 शरिया– शटरिंग कार्य। 2. अन्य पी0आर0डब्लू0 (लेबर कार्य) 3. पाईलिंग का कार्य।

उपरोक्त निविदा दि0 17.01.2025 को 15.00 बजे से वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं। (पूजा श्रीवास्तव) उप परियोजना प्रबन्धक

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

मैं, मीना कुमारी पत्नी विकाश कुमार मण्डल माता आर्मी नं0-**15748782X** सिग्नलमैन आकाश कुमार निवासिनी-ग्राम-नवीनगर, पोस्ट-लुंगी, जिला-नालन्दा, राज्य-बिहार, पिन-803101, दिनांक-10.01.2025 को कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ के समक्ष शपथपत्र देकर भविष्य हेतु अपना नाम मीना कुमारी से बदलवाकर निर्मला देवी करवा दी हूँ।

मैं, विकाश यादव पुत्र स्व० बाबूलाल यादव पिता आर्मी नं0-**15748782X** सिग्नलमैन आकाश कुमार निवासी-ग्राम-नवीनगर, पोस्ट-लुंगी, जिला-नालन्दा, राज्य-बिहार, पिन-803101, दिनांक-10.01.2025 को कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ के समक्ष शपथपत्र देकर भविष्य हेतु अपना नाम विकाश यादव से बदलवाकर विकाश कुमार मण्डल करवा दिया हूँ।

सूचित हो कि मेरे हाई स्कूल अंक पत्र 23226195 वर्ष 2022 में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश आर.के. चतुर्वेदी दर्ज थी जिसे संशोधित करके रघुवर कुमार चतुर्वेदी किया जाये। यशवर्धन चतुर्वेदी, पुत्र रघुवर कुमार चतुर्वेदी, राम रहीम कॉलोनी, एच नं. 10, मलाक रोड, विजय नगर, सेक्टर-ए, नीलमथा, लखनऊ।

मैं, गौरवा के कुदेम्मी माता आर्मी नं0-**7784353W** हवलदार परसप्पा कलप्पा कुदेम्मी निवासिनी-ग्राम-बाडीगवड, पोस्ट-बाडीगवड, जिला-बेलागवी, राज्य-कर्नाटक, पिन-591306, दिनांक-10.01.2025 को कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ के समक्ष शपथपत्र देकर भविष्य हेतु अपना नाम गौरवा के कुदेम्मी से बदलवाकर गौरवा कुदेम्मी करवा दी हूँ।

I ARMY NO.JC 551521Y SUB YAMBEM INAOCHA R/O NONGPOK LOUREMBAM (ARIPAT) PO-YAIRIPOK PS-NONGPOK SEKMAI DISTRICT-THOUBAL MANIPUR. UNIT-9,ASSAM REGT.I HAVE CHANGED MY WIFE NAME MOIBOM TOMBI DEVI TO YAMBEM TOMBI DEVI IN MY SERVICE RECORD.IN FUTURE MY WIFE NAME KNOWN AS YAMBEM TOMBI DEVI VIDE AFFIDAVIT NO.CT 286226 DATED 13/01/2025.

0060123290-1

I, NO.13996006M L/NK SANJAI KUMAR RAI SERVING AT 566B DSC PL ATT TO 38 WING AIR FORCE STATION BAKSHI KA TALAB , LUCKNOW U.P. 226201 HAVE CHANGED MY SON"S NAME FROM DEWESH KUMAR RAI TO DEVESH KUMAR RAI AND DAUGHTER ,S NAME FROM SNEHA TO SNEHA RAI VIDE AFFIDEVIT NO IN-UP38230894939076X, IN-UP38230074092767X AND DATED-07/01/2025 BEFORE LUCKNOW COURT.

0060123289-1

खोया+पाया

सूचित हो कि मेरी हाईस्कूल की अंक तालिका रोल नं. 1221018257 वर्ष 2021-22 कहीं खो गई है। अंकिता मिश्रा पुत्री शैलेन्द्र मिश्रा, 538ख/192, शिवनगर, खदरा, लखनऊ-226020

सार्वजनिक सूचना

मै कृष्ण कुमार चौधरी पुत्र तिलेश्वर चौधरी निवासी तिलक राय का हाता वार्ड नं 1 राजपुर बक्सर बिहार आम जनता को सूचित करना चाहता हू की मेरा मूल विक्रय बिलेख जो संपति दुर्बल आय वर्ग मकान न 9/823 सेक्टर 9 इंदिरा नगर लखनऊ का है कही खो गया है और मिल नहीं रहा है जो उप निबंधक 3 के यहां दिनांक 04.02.2002 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द 3540 के पृष्ठ 237/254 क्रमांक 867 पर पंजीकृत है और चैन डीड का पार्ट है। मै उक्त संपति पर ग्रह ऋण भारतीय स्टेट बैंक शाखा हरदोई बायपास लखनऊ से ले रहा हूं और उक्त संपति हरदोई बायपास शाखा लखनऊ में बंधक होनी है । जिस किसी को कोई आपत्ति दर्ज करनी है वो प्रकाशन के 15 दिन के अंदर हरदोई बायपास शाखा लखनऊ में दर्ज कर सकता है।
मो0– 7619953497, 94555 55199

CanFin Homes Ltd
पंजीकृत कार्यालय: संख्या 29/1, पहली मंजिल, सर एम एन कृष्णा राव रोड, निकट लाल बाग पश्चिमी गेट बसवनगुडी, बेंगलुरु–560004 वेब: www.canfinhomes.com

कार्यालय परिसर की आवश्यकता

कैन फिन होम्स लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एक अच्छे इलाके में भूतल/प्रथम/द्वितीय तल में 5 से 10 साल के लिए पहे पर 800–1000 वर्ग फुट की जगह की आवश्यकता निम्नलिखित स्थान पर है।

क्रमांक नंबर	स्थान	संपर्क व्यक्ति और पदनाम	संपर्क नंबर मो. और लैंडलाइन
1.	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	श्री एस.पी. श्रीवास्तव (उप महा प्रबंधक)	मो. 96060 84363 फोन 0129–4151209

इच्छुक परिसर मालिक अपने प्रस्ताव **कैन फिन होम्स लिमिटेड, अंचल कार्यालय उत्तरी अंचल, 112ए, भाग–बी, द्वितीय तल, एनआईटी सं.5. नेशन हट, मेन रोड (171 फुट चौड़ा रोड), फरीदाबाद, हरियाणा** को हमारे वेबसाइट www.canfinhomes.com में हमारे प्रारूप के अनुसार **02 फरवरी, 2025** को या उससे पहले एक बंद लिफाफे में भेज सकते हैं। परिसर सभी सुविधाओं/सुविधाओं के साथ कब्जे के लिए तैयार होना चाहिए। दलालों/बिचौलियों के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। कैन फिन होम्स लिमिटेड बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी रूप में प्रचार प्रस्ताव को अयोग्य घोषित कर देगा। कोई दलाली का भुगतान नही किया जाएगा।

स्थान: फरीदाबाद हस्ता./–
दिनांक: 15.01.2025 उप महा प्रबंधक

सार्वजनिक सूचना

भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अनुसार, यह सभी संबंधित पक्षों को सूचित करना है कि मेसर्स यश जेनेटिक फार्म्स की साझेदारी संरचना में निम्नलिखित पर